झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग — आ०पं०-2860

दि० – 26/04/17

संकल्प

विषय:—केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत 30001.75 लाख (तीन सौ करोड़ एक लाख पचहत्तर हजार) रु० की लागत पर स्वीकृत हजारीबाग शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

नगर विकास एवं आवास विभाग 74वें संविधान संशोधन के आलोक में नागरिकों को मौलिक / बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है। इस आलोक में हजारीबाग हेतु जलापूर्ति योजना का सूत्रण किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि 30001.75 लाख (तीन सौ करोड़ एक लाख पचहत्तर हजार) रु० है, यह योजना शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अमृत योजना अंतर्गत स्वीकृत की गई है। तैयार किए गए DPR पर विभागीय तकनीकी कोषांग द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है, तत्पश्चात् अमृत योजना अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) द्वारा उक्त योजना के दिशा–निदेश के आलोक में अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2. वर्तमान में हजारीबाग नगर निगम की जनसंख्या (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) लगभग 1,97,466 है। वर्तमान जनसंख्या के अनुसार 23.48 MLD जलापूर्ति की मांग है, जिसके विरुद्ध लगभग 11 MLD जलापूर्ति की जा रही है। वर्तमान जलापूर्ति व्यवस्था दो जल स्रोतों क्रमशः छड़वा डैम एवं हजारीबाग झील पर निर्भर है, जो इतनी बड़ी आबादी के लिए अपर्याप्त है। जल स्रोतों की अपर्याप्त क्षमता एवं हजारीबाग नगर निगम के सभी क्षेत्रों में समुचित वितरण व्यवस्था की अनुपलब्धता के कारण शहर की एक बड़ी आबादी जलापूर्ति सुविधा से वंचित है।

3. वर्तमान में कार्यरत जलापूर्ति व्यवस्था के तहत छड़वा डैम में 9.8 MLD एवं हजारीबाग झील में 0.9 MLD क्षमता का Water Treatment Plant अधिष्ठापित है। इन दोनों Water Treatment Plant में से सिर्फ छड़वा डैम के द्वारा ही शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति की जाती है, जबकि हजारीबाग झील में अधिष्ठापित Water Treatment Plant के द्वारा एक सीमित क्षेत्र में ही जलापूर्ति होती है। अतः प्रस्तावित परियोजना में 40.97 MLD क्षमता का Water Treatment Plant अधिष्ठापन किया जाना है, जिसे आगामी 30 वर्षों के मांग के आधार पर डिजाईन किया गया है।

4. वर्ष 2050 तक हजारीबाग शहरी क्षेत्र की अनुमानित आबादी 4,53,791 होने की संभावना है, जिसके विरुद्ध Gross Demand 56 MLD हो जाएगी। माँग के विरुद्ध आपूर्ति करने में वर्तमान जल स्रोतों की अक्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित जलापूर्ति व्यवस्था में हजारीबाग शहर से 47 कि॰मी॰ की दूरी पर अवस्थित कोनार डैम से जलापूर्ति किये जाने की योजना है। कोनार डैम के माध्यम से वर्ष 2050 तक के मांग के विरुद्ध जलापूर्ति करने की क्षमता सुनिश्चित की गई है।

5. इस योजना अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी Service Level Benchmarks को ध्यान में रखा गया है एवं भविष्य के मांग के आधार पर 24×7 जलापूर्ति व्यवस्था हेतु प्रावधान किया गया है।

6. अमृत योजना के दिशा–निर्देशिका की कंडिका–5 के उपकंडिका–5.1 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना के DPR में रख–रखाव (Operation & Maintenance) की तय समय–सीमा 5 वर्ष निर्धारित की गई है। इस योजना के लिए मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत किए गए अमृत योजना अंतर्गत प्रस्तावित सभी जलापूर्ति परियोजनाओं हेतु Model Bid Document (5 वर्षों के रख–रखाव हेतु) का उपयोग किया जायेगा।

7. इस परियोजना के अवयव निम्नलिखित है :–

Components	Details
Source	Konar Dam
Head Work - Intake well cum pump house Approach bridge (RCC)	Dia 18.50 m, Depth - 35.30 m Length 1300 m
Pumping Main Raw Water (Type of Pipe/Length/Dia) Clear Water (Type of Pipe/Length/Dia)	PM-1/ DI-K9/ 7299m/ 900mm PM-2/ DI-K9/ 15404m/ 900mm PM-3/ DI-K9/ 15538m/ 800mm CL-1/ DI-K9/ 8800m/200-500mm CL-2/ DI-K9/ 1520m/200-700mm CL-3/ DI-K9/ 400m/150mm
WTP	Conventional WTP - 40.97 MLD
Water Distribution Network (Type of Pipe/Length/Dia)	DI-K7/363 Kms/100-700mm
ESR (11 Nos)	690-3350 KLD
SCADA	Up to ESR outlet
House connection & consumer Metering	100% coverage

2860
26/04/17

8. परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अनुमानित राशि का ब्योरा निम्नवत् है :–

Sl. No.	Details	Amount (Rs. in Lakh)
1	Raw water Intake well	477.81
2	Construction of Coffer Dam	92.22
3	Gangway	1213.12
4	Electric Work Substation Building	30.12
5	Raw Water Rising Main of Intake well to WTP (Pumping Main)	6562.23
6	Raw Water Rising Main (Gravity Main)	1570.54
7	Development restoration of Bank	11.12
8	Approach road in WTP & intake Area	3.84
9	Renovation of Exixting intake at Chadwa	180.11
10	Construction of WTP at Rola	915.72
11	Pump house at Rola	72.14
12	Renovation and upgradation and allied job WTP at Charwa	611.29
13	Construction of Zonal elevated Service Reservoir	1255.56
14	Construction of Under ground service reservoir to Chadwa Zone 230 Cum	17.36
15	Presettling Tank	1795.27
16	Intermediate Pumping Station	32.52
17	Renovation /Reconstruction of existing ESR, LS	150.00
18	Clear Water rising mains	772.62
19	Clear Water Rising Main of Amrit Nagar Hill to ESRs (Gravity Main)	2029.64
20	DI Pipe Network for Distribution	8010.20
21	House Connection include water meter	744.35
22	Boundary wall 4575 5960/m	272.67
23	Soil investigation to determine the pile configuration	6.30
24	Two Storied staff quarter	32.55
25	Supply, Installation, testing and commissioning of vertical turbine centrigel type pump	333.32
26	Mechnical Work (Piping and valves) LS	60.00
27	Clear water pumping sets	42.47
28	Electrical Works	224.88
29	Distribution Transformer (DIR)	183.85
	Total (A)	**27703.82**
30	SCADA	89.85
31	1% labour cess of Total (A)	277.04
	Total (B)	**28070.71**
32	Land Acquisition	150.00
	Capex in Total	**28220.71**
33	O&M for 5 years	1073.27
34	1% labour cess on O&M cost	10.73
35	JUIDCO Charges (योजना–सह–वित्त विभाग के संकल्प सं. 3201 दिनांक 04.11.2016 के अनुसार)	697.04
	Opex in Total	**1781.04**
	Total Cost of the Project (Capex + Opex)	**30001.75**

9. अमृत योजना के मार्गदर्शिका के कंडिका–3.1.9 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए लागत राशि 150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख) रु० अमृत योजना के केन्द्रांश एवं राज्यांश से देय नहीं होगा। अतः इस राशि को राज्य योजना अंतर्गत सुसंगत मद *(मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–191–नगर निगमों को सहायता, उप शीर्ष–56–शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण के लिए सहाय्य अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, 79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)* से प्रावधानित किया जाएगा।

10. अमृत योजना के मार्गदर्शिका एवं तैयार किए गए DPR के अनुसार प्रस्तावित परियोजना की लागत राशि (CAPEX) 28070.71 लाख (दो सौ अस्सी करोड़ सत्तर लाख एकहत्तर हजार) रु० है एवं रख–रखाव की राशि (OPEX) 1781.04 लाख (सतरह करोड़ इक्कासी लाख चार हजार) रु० है। अमृत योजना के दिशा–निर्देशिका की कंडिका–5 के उपकंडिका–5.1 के अनुसार उपर्युक्त परियोजना के लागत राशि (CAPEX) का वित्त पोषण निम्नलिखित स्रोतों से किया जाएगा :–

(Amount in Lakhs)

Name of Project	Approved Project Cost (CAPEX)	Central Share	State Share	ULB Share	
				14th F.C.	Others
Hazaribag Water Supply Scheme	28070.71	14035.36	8421.21	4491.31	1122.83

2860
26/4/17

11. परियोजना की लागत राशि (CAPEX) का 50% केन्द्रांश, 30% राज्यांश तथा शेष निकाय अंश के रूप मे देय होगा। स्वीकृत किए गए SAAP के अनुसार निकाय अंश का 80% 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध निधि से किया जायेगा एवं शेष 20% राज्य सरकार द्वारा अमृत योजना के राज्यांश अंतर्गत कर्णांकित राशि से देय होगा।

12. उपर्युक्त परियोजना के रख–रखाव में (5 वर्षों के लिए) व्यय होने वाली राशि (OPEX) का वहन राज्य योजना अंतर्गत पेयजल जलापूर्ति के लिए शहरी निकायों को सहाय्य अनुदान मद *(मुख्य शीर्ष–2215–जल पूर्ति तथा सफाई, उप मुख्य शीर्ष–01–जल पूर्ति, लघु शीर्ष–191–नगर निगमों को सहायता, उप शीर्ष–01–पेयजल जलापूर्ति के लिए शहरी निकायों को सहाय्य अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान)* से किया जायेगा।

13. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में अमृत अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु प्राप्त केन्द्रांश एवं आवश्यक राज्यांश की राशि राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के अंतर्गत अमृत योजना के पृथक बैंक खाते में संधारित किया जाना है। योजना–सह–वित्त विभाग से अनुमोदनोपरांत राज्य शहरी विकास अभिकरण के अंतर्गत अमृत परियोजनाओं हेतु एक पृथक बैंक खाता संधारित किया गया है, जिसमें परियोजनाओं हेतु निर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि संधारित है। अतः उपर्युक्त परियोजना का क्रियान्वयन करने वाली संस्था को नियमानुसार राशि का आवंटन राज्य शहरी विकास अभिकरण के स्तर से किया जायेगा।

14. परियोजना के रख–रखाव हेतु निर्धारित 5 वर्ष की समय–सीमा के लिए एक कार्य योजना (O&M Plan) तैयार की गई है, जिसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :–

क) रख–रखाव हेतु चयनित संस्था की वांछित योग्यता का निर्धारण किया गया है।

ख) गुणवत्ता एवं निर्बाध सेवा को ध्यान में रखते हुए मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर उक्त कार्य हेतु चयनित संवेदक के भुगतान का आकलन किया जायेगा।

ग) रख–रखाव अवधि के दौरान संवेदक द्वारा मीटर रिडींग कर निकाय के द्वारा निर्धारित किए गए जल उपभोग शुल्क (Water User Chages) के अनुसार नवीनतम तकनीकों (E-mail, SMS आदि) का प्रयोग करते हुए सभी उपभोक्ताओं को विपत्र उपलब्ध कराया जायेगा। निकाय अथवा निकाय द्वारा राजस्व/कर संग्रहण करने हेतु चयनित संस्था के माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा इस विपत्र के विरुद्ध भुगतान किया जायेगा।

घ) संवेदक को रख–रखाव के विरुद्ध राशि का भुगतान परियोजना के निविदा दस्तावेज में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

15. उपरोक्त परियोजना के विभिन्न अवयवों के निर्माण हेतु आवश्यक भूखंड हजारीबाग नगर निगम को उपलब्ध है।

16. क्रमांक–8 में अंकित DPR की कुल राशि 30001.75 लाख (तीन सौ करोड़ एक लाख पचहत्तर हजार) रु॰ की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त है।

17. संदर्भित प्रस्ताव पर योजना प्राधिकृत समिति का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्राप्त है कि जल स्रोत (कोनार डैम) से जल प्राप्ति हेतु आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र दामोदर घाटी निगम से प्राप्त कर ली जाय।

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा योजना प्राधिकृत समिति के उपर्युक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

18. उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 18.04.2017 में मद संख्या 12 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राज्य पत्र में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

25.4.17

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– JUIDCO/W.S. Hazaribag/DPR-Setech/953/2016 2860 राँची, दिनांक– 26/04/17

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.4.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– JUIDCO/W.S. Hazaribag/DPR-Setech/953/2016 2860 राँची, दिनांक– 26/04/17

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव, झारखण्ड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/विशेष सचिव, सभी संयुक्त सचिव, सभी उप सचिव, सभी अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग/उपायुक्त, हजारीबाग/कार्यपालक पदाधिकारी, हजारीबाग नगर निगम/श्री कुणाल कुमार, विभागीय वेब मैनेजर को सूचनार्थ प्रेषित।

25.4.17

सरकार के प्रधान सचिव।